IPRD_PR_002854/23-24
Size: 726.22

# पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

## मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2023

बिहार सरकार

### वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य सरकार द्वारा संचालित ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' (कक्षा–I से X) के लिए।

**1. योजना के संबंध में दिशा–निर्देश**

राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के (कक्षा–I से X तक) के छात्र/छात्राएं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत् हों, को शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राओं का चयन कर सत्यापनोपरांत छात्रवृत्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी।

**2. कार्यक्षेत्र :–**

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यालय (कक्षा–I से X) जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जायेगा।

**3. छात्र/छात्रा की पात्रता :–**

(क) बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।

(ख) आवेदक की जाति पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होना चाहिए।

(ग) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं तथा पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए कोई आय अधिसीमा नहीं होगी, परन्तु पिछड़े वर्ग के छात्रों को आर्थिक आधार पर उनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख) मात्र के अंतर्गत छात्रवृत्ति देय होगी।

(घ) छात्रवृत्ति राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा–1 से 10 तक के पाठ्क्रमों के लिए युक्ति संगत होगी।

(ड) छात्रवृत्ति हेतु शैक्षणिक वर्ष में दिनांक–01 अप्रैल से 30 सितम्बर की अवधि के दौरान उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत होनी चाहिए।

**4. छात्रवृत्ति की देय राशि :–** इस योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक वर्ष एकमुश्त किया जायेगा :–

| क्र0सं | वर्ग | छात्रवृत्ति की दर (वार्षिक) |
|---|---|---|
| 1. | कक्षा–I से IV | रु0 600/– (छः सौ मात्र) |
| 2. | कक्षा–V से VI | रु0 1200/– (एक हजार दो सौ मात्र) |
| 3. | कक्षा–VII से X | रु0 1800/– (एक हजार आठ सौ मात्र) |
| 4. | कक्षा–I से X तक (छात्रावासी) | रु0 3000/– (तीन हजार मात्र) |

**5. छात्रवृत्ति हेतु अन्य शर्त :–**

(क) एक कक्षा के लिए एक ही बार अनुमान्य छात्रवृत्ति देय होगी।

(ख) छात्र/छात्रा द्वारा अनुशासन या छात्रवृत्ति की शर्त का उल्लंघन करने पर छात्रवृत्ति को रोका या रद्द किया जा सकता है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं को किसी अन्य प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

**6. क्रियान्वयन एजेंसी एवं चयन:–**

योजना का क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों का चयन शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा है।
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं का चयन/सत्यापन करने के पश्चात् छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किया जायेगा।

PR No.- 002854 (BC & EBC)D. 2023-24

विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट– https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html पर विभागीय संकल्प सं0–67, दिनांक–10.01.2023 का अवलोकन किया जा सकता है।

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

## प्रेस नोट

राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा–I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति।

योजना से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा–I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,25,00,000(एक करोड़ पच्चीस लाख) छात्र/छात्राएँ प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे।

30/12/2022
(पंकज कुमार),
**प्रधान सचिव।**

# पिछड़ा-अत्यंत पिछड़ा छात्र-छात्राओं को वजीफा

( आज शिक्षा प्रतिनिधि )

**पटना।** 1ली से 10वीं कक्षा तक के पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 1014 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है।यह राशि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत्त हुई है। यह छात्रवृत्ति राज्य के सरकारी स्कूलों, सरकार से मान्यताप्राप्त स्कूलों, स्थापना की अनुमति प्राप्त एवं प्रस्वीकृत स्कूलों के छात्र-छात्राओं को मिलेगी। पिछडा वर्ग के छात्रों के लिए यह आवश्यक है कि उनके माता-पिता या अभिभावक की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये होगी। यह भी शर्त्त है कि छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र-छात्राओं ने कोई और छात्रवृत्ति नहीं ली हो। पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति की यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जायेगी।इस बाबत पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के सरकारी स्कूलों, सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों, स्थापना की अनुमति प्राप्त स्कूलों एवं प्रस्वीकृत स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु 1014 करोड़ रुपये की स्वीकृत की जा चुकी है।योजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाना है। योजना के क्रियान्वयन हेतु लाभुकों का चयन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है। इस योजना से लाभान्वित छात्र-छात्राओं को किसी अन्य प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। योजना के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं तथा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए कोई आय की अधिसीमा नहीं होगी। पिछड़े वर्ग के छात्रों को आर्थिक आधार पर उनके माता-पिता या अभिभावक की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख के अंतर्गत होने पर ही छात्रवृत्ति देय होगी। पत्र में कहा गया है कि केंद्र प्रायोजित योजना पीएम-वाईएएसएएसभीआई के अंतर्गत टॉप क्लास स्कूल एडुकेशन फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स या अन्य योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा यदि 'मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करते हैं, तो उन आवेदनों का निष्पादन किसी भी परिस्थिति में छात्रवृत्ति-वजीफा का दोहरा लाभ अनुमान्य नहीं होगा' के सिद्धांत पर किया जायेगा।

- 1ली से 10 तक के बच्चों के लिए 1014 करोड़ की राशि स्वीकृत
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

# पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

## वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य सरकार द्वारा संचालित ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' (कक्षा–I से X तक ) से संबंधित सूचना।

1. **योजना के संबंध में दिशा–निर्देश :–** राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के (कक्षा–I से X तक) के छात्र/छात्राओं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत हों को शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राओं का चयन कर सत्यापनोपरांत छात्रवृत्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है।
2. **कार्यक्षेत्र –** पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यालय ( कक्षा–I से X ) जाने वाले बच्चो को छात्रवृत्ति दिया जायेगा।
3. **छात्र/छात्रा की पात्रता :–**
   (क) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
   (ख) जाति पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होना चाहिए।
   (ग) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कोई आय अधिसीमा नहीं होगी, परन्तु पिछड़े वर्ग के छात्रों को आर्थिक आधार पर उनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोंतो से कुल वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख) मात्र के अंतर्गत छात्रवृत्ति देय होगी।
4. **छात्रवृत्ति की राशि :–** इस योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक वर्ष एकमुश्त किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | कक्षा–I से IV | रू0 600/– (छः सौ मात्र) |
| 2 | कक्षा–V से VI | रू0 1200/–(एक हजार दो सौ मात्र) |
| 3 | कक्षा–VII से X | रू0 1800/– (एक हजार आठ सौ मात्र) |
| 4 | कक्षा–I से X (छात्रवासी) | रू0 3000/– (तीन हजार मात्र) |

**5. छात्रवृत्ति हेतु अन्य शर्त :–**

(क) एक कक्षा के लिए एक ही बार अनुमान्य छात्रवृत्ति देय होगी।

(ख) छात्र/छात्रा द्वारा अनुशासन या छात्रवृत्ति की शर्त का उल्लंघन करने पर छात्रवृत्ति को रोका या रद्द किया जा सकता है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं को किसी अन्य प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

**6. क्रियान्वयन एजेंसी :–**

योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाता है।

**7. चयन :–**

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं का चयन/सत्यापन करने के पश्चात् छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (D.B.T) के माध्यम से किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट–https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html पर विभागीय संकल्प सं0–67, दिनांक–10.01.2023 का अवलोकन किया जा सकता है।

PR No.- 16820 (BC & EBC)D. 2022-23

# पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
## बिहार सरकार

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार

## वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

### (कक्षा- I से X तक) से संबंधित सूचना

**छात्रवृत्ति राशि का विवरण:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | कक्षा-I से IV | ₹600/- (छः सौ मात्र) |
| 2 | कक्षा-V से VI | ₹1200/- (एक हजार दो सौ मात्र) |
| 3 | कक्षा VII से X | ₹1800/- (एक हजार आठ सौ मात्र) |
| 4 | कक्षा-I से X (छात्रवासी) | ₹3000/- (तीन हजार मात्र) |

इस योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान D.B.T के माध्यम से प्रत्येक वर्ष एकमुस्त किया जायेगा।

https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html

/iprdbihar @iprd_bihar